

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/आर-46/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० (श्रीमती) सावित्री कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुल्हिन बाजार, पटना को विभागीय पत्रांक-1185(9) दिनांक-05.09.2005 द्वारा निलम्बन मुक्त किया गया, निलम्बन मुक्ति के उपरान्त उनके द्वारा दिनांक-20.09.2005 को सिविल सर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर में योगदान किया गया। इस प्रकार दिनांक-05.09.2005 से 19.09.2005 तक की अवधि को भी निलम्बन अवधि मानते हुए दिनांक-20.09.2005 से 30.12.2005 तक को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:-

- (i) दिनांक-20.09.2005 से 17.12.2005 - पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर)।
- (ii) दिनांक-18.12.2005 से 23.12.2005 तक - देय अवकाश के रूप में।
- (iii) दिनांक-24.12.2005 से 30.12.2005 तक - पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोतीपुर मुजफ्फरपुर)।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वितीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-46/2024- 495(2) पटना, दिनांक 21 / 3 /2025
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुल्हिन बाजार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० (श्रीमती) सावित्री कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुल्हिन बाजार, पटना/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।